दूरभाष सं0: 0591--2972012

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
1–ए/आई.एन.एस.–1, आवास विकास कालोनी, बौद्ध विहार,
दिल्ली रोड, मुरादाबाद

पत्र संख्या 275/D-8/अनापत्ति

दिनांक 13/2/2

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय
कृते जिलाधिकारी,
जनपद–रामपुर।

विषयः गाटा संख्या–386, ग्राम–बिलासपुर खास, तहसील–बिलासपुरा, जनपद–रामपुर पर मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) हेतु अनापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने **पत्र संख्या 267/न्याय सहायक–द्वितीय दिनांक– 08.01.2020** का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जो कि इस कार्यालय में दिनांक–08.01.2020 को प्राप्त हुआ है। उक्त के संबंध में आपको अवगत कराना है कि आपके द्वारा **मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड** द्वारा गाटा संख्या–386, ग्राम–बिलासपुर खास, **तहसील–बिलासपुरा, जनपद–रामपुर** पर स्थापित किये जाने के संबंध में आख्या चाही है, के संबंध में स्थल का निरीक्षण इस कार्यालय के श्री अंजनी कुमार शुक्ल, प्रयोगशाला सहायक द्वारा दिनांक–09.02.2020 को किया गया (निरीक्षण आख्या संलग्न)। निरीक्षण आख्यानुसार रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु जिला प्रशासन के स्तर से जारी किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र पर पर्यावरणीय दृष्टि से निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित किया जाना उचित होगा:–

1. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में भण्डारण से किसी प्रकार का उत्प्रवाह एवं उत्सर्जन जनित नहीं किया जाएगा। मात्र घरेलू मल–जल का निस्सरण सोकपिट/सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जायेगा तथा ऑयल भण्डारण से जनित **Vapour** की रोकथाम हेतु उचित व्यवस्था स्थापित की जाए।
2. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में डी.जी. सेट के एकास्टिक एन्क्लोजर एवं एग्जास्ट के चिमनी की ऊँचाई पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में अधिसूचित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए।
3. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबन्धन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 यथासंशोधित के प्राविधानों का पालन करना सुनिश्चित करें। जनित होने वाले हैजार्ड्स वेस्ट को बन्द शेड में सुरक्षित तरीके से भण्डारित किया जाये तथा समय से निस्तारणहेतु टी.एस.डी.एफ. को प्रेषित किया जाए।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय

(अजय शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नकः यथोपरि।

Achint Bhavsar
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory

राजीव कुमार
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर

प्रभारी अधिकारी संयुक्त कार्यालय कृते जिलाधिकारी, रामपुर के पत्र संख्या 267 / न्याय सहायक–द्वितीय दिनांक–08.01.2020 के सन्दर्भ में गाटा संख्या–386, ग्राम–बिलासपुर खास, तहसील–बिलासपुरा, जनपद–रामपुर पर मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड का रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) हेतु अनापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्याः–

उपरोक्त संदर्भ में स्थल का निरीक्षण दिनांक 09.02.2020 को किया गया। स्थल निरीक्षण के समय श्री विजय कुमार अग्रवाल, प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आये–

1. मैसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) हेतु गाटा संख्या–386, ग्राम–बिलासपुर खास, तहसील–बिलासपुरा, जनपद–रामपुर पर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
2. उक्त स्थल का अक्षांश–28.880246 एवं देशांतर–79.259390 पर स्थित है। उक्त स्थल के पूरब दिशा में कृषि भूमि, पश्चिम दिशा में बिलासपुर–केमरी रोड लगभग 50 मीटर की दूरी पर, उत्तर दिशा में मैसर्स रामा ट्रेडर्स लगभग 100 मीटर, दक्षिण दिशा में हाजी रजा की दुकान लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है।
3. निरीक्षण के समय प्रस्तावित स्थल पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य होता नहीं पाया गया।
4. उक्त स्थल रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) की स्थापना हेतु पर्यावरणीय दृष्टि से उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित पेट्रोल पम्प को जिला प्रशासन से जारी की जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित किया जाना उचित प्रतीत होगाः–

- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में भण्डारण से किसी प्रकार का उत्प्रवाह एवं उत्सर्जन जनित नहीं किया जाएगा। मात्र घरेलू मल–जल का निस्सरण सोकपिट / सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जायेगा तथा ऑयल भण्डारण से जनित **Vapour** की रोकथाम हेतु उचित व्यवस्था स्थापित की जाए।
- प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) में डी.जी. सेट के एकास्टिक एन्क्लोजर एवं एग्जास्ट के चिमनी की ऊँचाई पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में अधिसूचित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए।
- हैजार्ड्स वेस्ट (मैनेजमेन्ट, हैण्डलिंग एण्ड ट्रान्सबाउन्ड्री मूवमेन्ट) रूल्स, 2016 यथासंशोधित के प्राविधानों का पालन करना सुनिश्चित करें। जनित होने वाले हैजार्ड्स वेस्ट को बन्द शेड में सुरक्षित तरीके से भण्डारित किया जाये तथा समय से निस्तारण हेतु टी.एस.डी.एफ. को प्रेषित किया जाए।

उपरोक्तानुसार तथ्य एवं निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

13/02/2020
(अजनी कुमार शुक्ल)
प्रयो सहा0

सहा.पर्या.अभि. / क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

13.2.2020

Achint Bhavsar
Territory Manager (Retail)
Bharat Petroleum Corporation Ltd.
Bareilly Territory

राजीव कुमार
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
रामपुर